शुद्धिपत्र

संख्या-535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 18 अक्टूबर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के कुल 90 मार्गों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1142सी/191सी-जी.एस.टी.5054/24-25, दिनांक 19.09.2024 एवं पत्र संख्या- 50सी/191-जी.एस.टी.-5054 भाग-1, दिनांक 16.05.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-528/2024/आई/774177/23-1-24-23-1002(002)/218/2023, दिनांक 18.10.2024 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 90 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु कुल स्वीकृत लागत रू0 3,63,93,93,000/-(रूपये तीन अरब तिरसठ करोड़ तिरानबे लाख तिरानबे हजार) में जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि कुल रू0 10,62,44,000/-(रूपये दस करोड़ बासठ लाख चौवालीस हजार मात्र) को जोड़ते हुए कुल लागत रू0 3,74,56,37,000/-(रूपये तीन अरब चौहत्तर करोड़ छप्पन लाख सैंतीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त स्वीकृत शासनादेश के विषय में त्रुटिवश लेखाशीर्षक 5054 के स्थान पर लेखाशीर्षक 3054 अंकित हो गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश संख्या-528/2024/आई/774177/23-1-24-23-1002(002)/218/2023, दिनांक 18.10.2024 के विषय में लेखाशीर्षक 3054 के स्थान पर लेखाशीर्षक 5054 पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 18.10.2024 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-535/2024/आई/774613(1)/23-1-24-23-1002(002)/218/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

2- निजी सचिव, मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।